भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 459
दिनांक 05.12.2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

शत्रु संपत्तियों की नीलामी

†459. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में शत्रु सम्पत्तियों के निपटान/नीलामी के लिए राज्य सरकार के समन्वय से केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए शत्रु सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त आय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ बांटा जाएगा जहां ऐसी संपत्तियां स्थित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): शत्रु संपत्तियों का निपटान/नीलामी शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8क और उसके तहत बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है; नामतः

(i) शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018;

(ii) शत्रु शेयर के विक्रय के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2019;

(iii) अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2020

शत्रु संपत्ति के निपटान/नीलामी से पहले, अचल शत्रु संपत्ति का मूल्यांकन उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है, जहां पर वह संपत्ति स्थित है। इस कार्य में उनकी सहायता जिले के रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार और सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के

अधीक्षक/कार्यकारी अभियंता द्वारा की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को अभिरक्षक द्वारा शत्रु संपत्ति निपटान समिति के समक्ष रखा जाता है जो कि शत्रु संपत्ति के निपटान या शत्रु संपत्ति के निपटान के तरीके के बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है।

'शेयर' जैसी चल संपत्ति की बिक्री उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है जो कि 'शेयर' की बिक्री के लिए मात्रा और कीमत या मूल्य स्तर के संबंध में सिफारिश करती है। अभी तक, उत्तर प्रदेश राज्य में 19 शत्रु संपत्तियों का 08.09.2023 को आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री द्वारा निपटान किया गया है और 2709.16 करोड़ रुपये के 'शेयर' बेचे गए हैं।

(ख) और (ग): जी, नहीं। मार्गदर्शन आदेश के प्रावधानों के अनुसार, शत्रु संपत्ति की बिक्री अथवा निपटान से प्राप्त राशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।

****